2

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः- 251 क(1) आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः 271/2025

गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सेवकसिंह उर्फ सेवा सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रार्थी

बनाम्

1 टहल सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)

2 सुखपालकौर पत्नी श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

3 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

-:अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री गुलाब सिंह बराइ - अधिवक्ता प्रार्थी
2. एक पक्षीय कार्यवाही - अप्रार्थी सं. 1, 2
3. राजपैरोकार - अप्रार्थी सं. 3

-::निर्णय::-

दिनांक 5/12/2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री गुलाब सिंह बराइ द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की तहसील हनुमानगढ के चक 22 केएसपी जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 96/71 के प0नं0 112/336 (37) किला नं0 4, 5/1/.228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7, 14, 15/1/.228, 15/2/.025 कुल 1.518 हैक्टयर कृषि भूमि दर्ज है। चित्रप्रति जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना-पत्र है।

यह कि तहसील हनुमानगढ के चक 22 केएसपी जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 खाता संख्या 48/38 के पत्थर नं0 112/336 (37) किला नं0 25/1/.228, 25/2/.025 व पत्थर नं0 112/337 (41) किला नं0 5 कुल .506 हैक्टयर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम व इसी चक के खाता सं0 94/69 के पत्थर नं0 112/336 (37) किला नं0 8, 9, 13, 16/1/.228, 16/2/.025, 17, 18, 23, 24 व प.न. 112/337 (41) कि.न. 3 व 4 कुल 2.530 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना-पत्र है।

यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने हेतु कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतू गांव अराईयावाली के दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम चल रही गांव की फिरनी से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की प0नं0 112/337 (41) किला नं0 5 के पूर्वी ओर पत्थर लाईन से चिपटे हुए दक्षिण से उत्तर 16.5 फुट चौडाई में 165 फुट लम्बाई में तत्पश्चात इसी किला नम्बर में पश्चिम की ओर घूमकर 16.5 गुणा 16.5 लम्बाई चौडाई में होते हुए उत्तर की

3

प0नं0 112/336 (37) के किला नं0 25 में पूर्वी ओर चल रहे दक्षिण से उतर खाला चिपते हुए 16.5 फुट चौडाई व 165 फुट लम्बाई में तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 के नं0 112/336 (37) के किला नं0 16 में पूर्व की ओर चल रहे दक्षिण से उतर खाला चिपते हुए 16.5 फुट चौडाई व 165 फुट लम्बाई का रास्ता सबसे नजदीक व छोटा तथा ाश्त के प्रयोजनार्थ हेतू, प्रार्थी के लिए उपायुक्त व सुविधाजनक हैं। प्रार्थी को अपनी भूमि में ाने जाने हेतू उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है व यही रास्ता प्रार्थी ; लिए गांव के दक्षिणी ओर चल रहे रास्ता से नजदीक व सुविधाजनक है, लेकिन उक्त ास्ता राजस्व अभिलेख में मंजूरशुद्धा नही होने से व रास्ता के अभाव में प्रार्थी को अपने कृषि यन्त्र व कृषि उपज का माल लाने ले जाने में भारी असुविधा होती है, इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की प0नं0 112/337 (41) किला नं0 5 के पूर्वी ओर पत्थर लाईन से चिपते हुए दक्षिण से उतर 16.5 फुट चौडाई में 165 फुट लम्बाई में तत्पश्चात इसी किला नम्बर में पश्चिम की ओर घूमकर 16.5 गुणा 16.5 लम्बाई चौडाई में होते हुए उतर की ओर प0नं0 112/336 (37) के किला नं0 25 में पूर्वी ओर चल रहे दक्षिण से उतर खाला के चिपते हुए 16.5 फुट चौडाई व 165 फुट लम्बाई में तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 के पत्थर नम्बर 112/336 (37) के किला नं0 16 में पूर्व की ओर चल रहे दक्षिण से उतर खाला के चिपते हुए 16.5 फुट चौडाई व 165 फुट लम्बाई का रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हैं, जिसका कि प्रार्थी अधिकारी व दावेदार है। इस हेतु प्रार्थी अप्रार्थी सख्या 1 व 2 की रास्ता में आई भूमि के बदले अपनी उक्त वर्णित भूमि में से उतनी भूमि अथवा इस भूमि की डी एल सी की दोगुणी राशि देने को तत्पर एवं तैयार है।

यह कि प्रार्थी ने अर्सा दो दिवस पूर्व अप्रार्थीगण से प्रश्नगत रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्वीकृत करवाने व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करवाने हेतु निवेदन किया तो वह इन्कार हो गये। यही विनाये प्रार्थना-पत्र है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 3 को उक्त कृषि भूमि का भू-धारक होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो कि उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की प.न. 112/337 (41) कि.न. 5 के पूर्वी ओर पत्थर लाईन से चिपते हुए दक्षिण से उतर 16.5 फुट चौडाई में 165 फुट लम्बाई में तत्पश्चात इसी किला नम्बर में पश्चिम की ओर घूमकर 16.5 गुणा 16.5 लम्बाई चौडाई में होते हुए उतर की ओर प.न. 112/336 (37) के कि.न. 25 में पूर्व की ओर चल रहे दक्षिण से उतर खाला के चिपते हुए 16.5 फुट चौडाई व 165 फुट लम्बाई में तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 के प.न. 112/336 (37) के किला नं0 16 में पूर्व की ओर चल रहे दक्षिण से उतर खाला के चिपते हुए 16.5 फुट चौडाई व 165 फुट लम्बाई का रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1, 2 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा

सहायक कलक्टर उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।**

2 **वैकल्पिक रास्ते का अभाव।**

3 **नया मार्ग लघुतम रूट से हो।**

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा व प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रेषित पत्रांक राजस्व/राजकाल/17939389 दिनांक 23.09.2025 मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसमें अंकन किया गया है कि प्रार्थी की भूमि के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की भूमि के निकटतम दक्षिणी दिशा में ग्राम अराईयावाली की गै.मु. आबादी भूमि प.न. 112/337 मु.न. 41 कि.न. 6 ता 10 में आबादी भूमि में फिरनी के रूप में रास्ता चल रहा है। प्रार्थी अपनी भूमि में प्रवेश हेतु गै.मु. आबादी की फिरनी से चिपते प.न. 112/337 मु.न. 41 कि.न. 5 में .0136 है. पूर्वी दिशा में पत्थर लाइन के चिपते हुये 8.25 फीट चोडाई व 165 फीट लंबाई तथा इसी कि.न. के उत्तरी पूर्वी कोने में अतिरिक्त 8.25 फीट गुणा 8.25 फीट लंबा चौडा रास्ता व प.न. 112/336 मु.न. 37 कि.न. 16/.013 एव 25/.013 में पूर्वी दिशा में गै.मु. खाला के पश्चिमी दिशा में चिपते हुए 8.25 फीट चौडा व 330 फीट लंबाई में में .0396 हैक्टेयर रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

उक्त प्रस्तावित रास्ता के बदले अप्रार्थी सं. 2 सुखपाल कौर सहमत है जबकि अप्रार्थी सं. 1 असहमत है। अप्रार्थी सं. 1 का पुत्र अंग्रेजसिंह मौके पर उपस्थित रहा व हस्ताक्षर करने से इनकार किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस प्रार्थीपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता से सुगमता से प्रार्थी अपनी जोत तक पहूंच सकता है। प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा के प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता से ही अपनी खातेदारी जोत तक प्रार्थी पहूंच सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 22 एस.पी. प.न. 112/337 मु.न. 41 कि.न. 5 में पूर्वी दिशा में पत्थर लाइन के चिपते हुये

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

5

8.25 फीट चोडाई व 165 फीट लंबाई तथा इसी कि.न. के उत्तरी पूर्वी कोने में अतिरिक्त 8. 25 फीट गुणा 8.25 फीट लंबा चौडा रास्ता व प.न. 112/336 मु.न. 37 कि.न. 16 एवं 25 में पूर्वी दिशा में गै.मु. खाला के पश्चिमी दिशा में चिपते हुए 8.25 फीट चौडा व 330 फीट लंबाई में में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत किये गये रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थी की खातेदारी भूमि प.न. 112/336 मु.न. 37 कि.न. 7/.019, 14/.019 पश्चिमी दिशा में कम की जाकर चिपते अप्रार्थी सं. 1 सुखपाल कौर को 0.038 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अप्रार्थी सं. 1 सुखपाल कौर की खातेदार कृषि भूमि प.न. 112/336 मु.न. 37 कि.न. 17/.13, 24/.012 पूर्वी दिशा में कम की जाकर अप्रार्थी सं. 2 टहलसिंह को 0.025 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुदा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ